

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2011/ 39

दिनांक : 17/01/2011

आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12 एवं 13 दिनांक 06.01.2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पद	आदेश	क्र.सं.	संशोधन
1	सरोज	म.स्वा.का.	13	800	पदस्थापन स्थान उपकेन्द्र पाबूदूणा के स्थान पर उपकेन्द्र, चांदना, जालोर संशोधित
2	सुभिता	म.स्वा.का.	13	804	पदस्थापन स्थान उपकेन्द्र, सागडा पीएचसी परलीका के स्थान पर प्रा.स्वा.के., परलीका, हनुमानगढ़ संशोधित
3	राजकिरण	नर्स द्वितीय	13	1138	पदनाम एएनएम के स्थान पर नर्स द्वितीय एवं पदस्थापन स्थान में सा.स्वा.के., के स्थान पर प्रा.स्वा.केन्द्र संशोधित
4	पूरणमल बैरवा	नर्स द्वितीय	13	50	पदस्थापन स्थान गोला का बास, अलवर के स्थान पर प्रा.स्वा.केन्द्र, भिरानी, हनुमानगढ़ संशोधित
5	सुवालाल सबल	लेब टैक्नी.	13	1048	सुवालाल रैगर के स्थान पर पर सुवा लाल सबल संशोधित
6	भगवती कुमारी	म.स्वा.का.	13	816	पदस्थापन स्थान प्रा.स्वा.के., रायसना, टोडाभीम के स्थान पर रायसना, नादौती, करौली संशोधित
7	रेणू तंवर	नर्स द्वितीय	13	399	पदनाम एएनएम के स्थान पर नर्स द्वितीय संशोधित
8	कृष्ण चन्द्र छालिया	नर्स द्वितीय	13	77	नाम कृष्ण कुमार के स्थान पर कृष्ण चन्द्र छालिया संशोधित
9	महेश चन्द्र गुप्ता	नर्स द्वितीय	13	146	नाम महेश बंसल के स्थान पर महेश चन्द्र गुप्ता संशोधित
10	सज्जन कुमार घोषी	नर्स द्वितीय	12	214	पदस्थापन स्थान बीडीएम चिकित्सालय, बीकानेर के स्थान पर पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर संशोधित
11	जियाराम	कनि.लिपि	12	260	नाम जिमाराम के स्थान पर जियाराम एवं पदनाम रेडियोग्राफर के स्थान पर कनिष्ठ लिपिक संशोधित

शेष यथावत।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 17/01/2011

क्रमांक : अराज/सामान्य/2011/ 39

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. उप शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
7. निदेशक, जनस्वास्थ्य/प.क./एड्स/आईईसी/ईएसआई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर।
8. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडीकल कॉलेज, राजस्थान।
9. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- राजस्थान।
10. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
11. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. संबंधित उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजस्थान।
14. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
15. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/संबंधित अधिकारी।
16. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ। / *द्वारा 22 म, मुख्यालय बिभाग*
के लाई 2 92 उपले 502
17. आदेश/रक्षित पत्रायली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर